

अधिसूचना

डा0 दिलीप कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, गया के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0 168(9) दिनांक 25.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इनके विरुद्ध गया में दिनांक 16.02.12 को रात्रि में पकड़ी गई अवैध दवाओं से संबंधित जॉच प्रतिवेदन माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के निदेश के बावजूद समय पर उपलब्ध नहीं कराने का आरोप था। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में डा0 कुमार के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

अतः समीक्षोपरांत अधिगम से सहमत होते हुए डा0 दिलीप कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, गया संप्रति सिविल सर्जन, जहानाबाद को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:

214 (9)

/स्वा0, पटना, दिनांक 16/3/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 दिलीप कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, गया सम्प्रति सिविल सर्जन, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्य मंत्री (स्वास्थ्य) के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,